



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपसचिव अधिकारी, करौली, (करौली)
जिला - करौली
जाति प्रमाण - पत्र



संख्या: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/17079917643
दिनांक: 27-12-2017
आवेदक का आधार नम्बर : 354939917084
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामासाहू शार्ड संख्या : 9999-D8GM-00019

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत पुत्र/पुत्री श्री श्रीनाथ मीना गांव/नगर घाम पोस्ट कैलादेवी तहसील जिला करौली जिला/डिवीजन करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आर्ट्स 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आर्ट्स 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आर्ट्स 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आर्ट्स 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मुखिया (संशोधन) आर्ट्स 1956, संसदीय प्रस्ताव अधिनियम 1960, संसदीय प्रस्ताव अधिनियम 1966, विभाजन प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आर्ट्स (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा कया संशोधित संविधान (जन्म व करौली) अनुसूचित जाति आर्ट्स 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आर्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा कया संशोधित संविधान (अडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आर्ट्स 1959, संविधान (टाटर तथा नागर इंडोनी) अनुसूचित जाति, आर्ट्स 1962, संविधान (टाटर कला नागर इंडोनी) अनुसूचित जनजाति, आर्ट्स 1962, संविधान (राहेमेरी) अनुसूचित जाति आर्ट्स 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आर्ट्स 1967, संविधान (मोज, टमन तथा टीक) अनुसूचित जाति आर्ट्स 1968, संविधान (मोज, टमन तथा टीक) अनुसूचित जनजाति आर्ट्स 1968, संविधान (तागमेर) अनुसूचित जनजाति आर्ट्स, 1970

श्री भारत गांव/नगर घाम पोस्ट कैलादेवी तहसील जिला करौली जिला / डिवीजन करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट

1. यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित विषयों का अर्थ नहीं होगा जो 1950 के आर्ट्स 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को अधिसूचना सं.एफ 21(37) एम.से.ई./कमप्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं- टहसीलवार के आधार पर जारी किया गया है। टहसीलवार की प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कार्यरत किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित टहसीलवार विधि के सम्बंधित प्रमाण अधिकारी निम्नके हस्ताक्षर से यह जारी किया जावेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलन संख्या : 170082813069

उपसचिव अधिकारी, करौली, (करौली)

Signature valid

Digitally signed by
RAJENDRA KUMAR
GOYAL

Date: 2017.12.27 11:05:43

+05:30:35

Reason: Approved
Location: Rajasthan

